ग्राम पंचायत ढ़गवार, विकास खण्ड धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत ढ़गवार, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति सुषमा राणी	01.04.21 से 31.03.23

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री नवीन नाग	01.04.21 से 19.08.21
2.	श्री कुलदीप कुमार	10.09.21 से 29.11.21
3.	श्री अमित कुमार	29.11.21 से 22.01.22
4.	श्रीमति पम्मी देवी	23.01.22 से 31.03.23

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री ओंकार दत्त	01.04.2021 से 31.03.23

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1 .	श्री सोनू कुमार	01.04.2021 से 30.06.2022
2.	श्रीमति नीलम कुमारी	01.07.2022 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत ढ़गवार के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	0.04
2.	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	41.93
3.	7 (क,ख,ग)	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	1.85
4.	8.2	मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	0.58
5.	8.3	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने के फलस्वरूप संभावित राजस्व हानि	0.43
6.	9	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	2.29

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत ढ़गवार, विकास खण्ड धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक तथा श्री बनीश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 04.03.2024 से 06.03.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

- 49 -

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2021-22	06/21	07/21
2022-23	03/23	05/22

<u>**अस्वीकरण (Disclaimer) :**</u> - ***इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।***

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4800/-** आंका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 09/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 06/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 04/2024 दिनांक 04.03.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क"** और **"ख"** में दिया गया है:-

1. स्वः स्त्रोत:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2021-22	1481144.00	181053.00	1662197.00	135937.00	1526260.00
2022-23	1526260.00	171525.00	1697785.00	95644.00	1602141.00

-58-

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2021-22	1963752.12	2469502.00	4433254.12	1296356.40	3136897.72
2022-23	3136897.72	4150408.75	7287306.47	3094252.75	4193053.72

कुल योग (1+2) = 1602141.00+4193053.72 = **5795194.72**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से **₹57,95,194.72** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹57,98,915.42 (परिशिष्ट - "ग")** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है: -

क्र०	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	दिनांक 31.03.23 को बैंक अंत शेष (₹)
1	स्व: स्त्रोत	KCCB मसरेड़	50052299041	16,02,021.00
2	तीसरा वित्त / 5 वां वित्त	KCCB मसरेड़	50057198220	2,79,978.00
3	तीसरा वित्त / 5 वां वित्त	KCCB मसरेड़	50074536544	2,79,165.00
4	डी०पी०ओ०	KCCB मसरेड़	50056988231	85,094.00
5	आर०ए०वाई०/ ए०ए०वाई०	KCCB मसरेड़	50056851502	357.00
6	वी०के०वी०एन०वाई०	KCCB मसरेड़	50057188711	1,21,610.00
7	एस०डी०आर०एफ०	KCCB मसरेड़	50058707168	74,583.70
8	एम०एम०जी०पी०वाई०	KCCB मसरेड़	50065507070	1,884.00
9	एस०बी०एम०	KCCB मसरेड़	5005	2,93,272.00
10	एम०पी०लेड०	KCCB मसरेड़	50075048943	1,284.00
11	14 वां वित्तायोग	KCCB मसरेड़	50055783857	2,80,218.30
12	14 वां वित्तायोग	HDFCधर्मशाला	50100316497357	3,298.42
13	15 वां वित्तायोग	HDFCधर्मशाला	50100371685185	27,76,050.00
	हस्तगत शेष (स्व: स्त्रोत)			100.00

	बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योग :	57,98,915.42
	दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :-	
	पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेष:-	₹57,98,915.42
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा4(क) अन्तशेष :-	₹57,95,194.72
	अंतर :-	₹3,720.70

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹0.04 लाख का अन्तर पाया जाना:-

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2023 को उक्त पैरा 4 के अनुसार **₹3,720.70** की राशि का अन्तर पाया गया। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 05/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का बैंक शेषों से मिलान कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके तथा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक शेषों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 लेखा खाता/खाता बही तैयार न करना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई व किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ व कितनी राशि शेष थी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 05/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि लेखा खाता बही को आगामी वित्त वर्ष से संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इस अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जायें व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को तैयार न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक आय तथा व्यय के लिये दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिये एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिये अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिये प्रविष्टि की जाएगी।

अंकेक्षण के दौरान वर्गीकृत सार रजिस्टर के अभाव के कारण पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु प्रस्तुत आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति की जांच करने में भी समय की बरबादी हुई। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियंत्रित रखा जाना है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 05/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि वर्गीकृत सार रजिस्टर को आगामी वित्त वर्ष से संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिये नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.4 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार नहीं किया गया था अपितु कार्यवाही रजिस्टर में तैयार एवं पारित किया गया था। सचिव द्वारा निर्धारित प्रारूप -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन को निर्धारित प्रारूप -11 के अनुसार तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत के पास (स्वः-स्त्रोत) में ₹1481144 से लेकर ₹1602141 तक का अतिरिक्त शेष उपलब्ध था, जोकि अंकेक्षण अवधि के दौरान कृत व्यय की तुलना में कहीं अधिक था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024 दिनांक 04.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके

प्रतिउत्तर क्रमांक 04/2024 दिनांक 04.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि सभा निधि में बकाया अतिरिक्त राशि को नियमानुसार प्रस्ताव पारित करके भविष्य में सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: कृत व्यय की तुलना में इतना अधिक शेष बचत खाते में रखने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करें तथा भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा निवेश की स्थिति में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम 12 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप-1 में निवेशों के लिए नियमानुसार रजिस्टर का रख-रखाव किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6. अनुदान राशि ₹41.93 लाख का अवरोधन :-

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 04/2024 दिनांक 04.03.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क "** व **परिशिष्ट - " ख "** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹ 41,93,053.72** की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 05/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व राशि ₹1.85 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

(क) सम्पत्तिकर/गृहकर की राशि ₹1.14 लाख वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय ***(outstanding)*** नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण नहीं किया गया था। पंचायत सचिव द्वारा दी गई सूचना **परिशिष्ट - "घ"** के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2021-22 के दौरान ₹25 प्रति वर्ष की दर व 2022-23 के दौरान ₹30 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹1,14,200.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.23 को शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण प्रारूप - 10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता लगाया जा सके। गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

वसूली हेतु शेष गृहकर राशि का विवरण :-

अवधि	अथशेष	कुल परिवार	गृहकर वार्षिक दर (₹)	मांग (₹)	योग (कालम 2+5) (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (कालम 6-7) (₹)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2021-22	76300.00	694	25/-	17350.00	93650.00	1200.00	92450.00
2022-23	92450.00	725	30/-	21750.00	114200.00	0.00	114200.00

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 05/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः गृहकर की वसूली न करने के कारणों से अवगत करवाते हुए लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र नियमित वसूली हेतु नियमानुसार गृहकर से सम्बन्धित

मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) दुकानों के किरायेदारों से देय किराया ₹0.70 लाख की राशि वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा दुकानों के किराये से सम्बन्धित मांग व वसूली पंजिका का संधारण प्रारूप -10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित दुकान के किराये तथा वसूली का पूर्ण पता लगाया जा सके। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024 दिनांक 04.03.2024 व 07/2024 दिनांक 06.03.2024 के प्रत्युत्तर क्रमांक 07/2024 दिनांक 06.03.2024 दी गई सूचना **परिशिष्ट - " ङ "** के अनुसार कुल **08** दुकानों के किराये के रूप में **₹69500/-** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.23 को शेष थी। पंचायत द्वारा दुकानों के किरायेदारों के साथ किराये से सम्बन्धित कोई भी लिखित अनुबंध का कार्यान्वयन नहीं किया गया था और न ही पंचायत के पास इससे सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख अर्थात माहवार दर तथा नियम व शर्तें इत्यादि उपलब्ध थी जिस कारण मासिक किराये की पूर्ण पुष्टि अंकेक्षण के दौरान संभव न हो सकी। दुकानों का किराया नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है।

वसूली हेतु शेष दुकान के किराये की राशि का विवरण :-

अवधि	अथशेष (₹)	मांग (₹)	योग (कालम 2+3) (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (कालम 4-5) (₹)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2021-22	31200.00	33600.00	64800.00	15900.00	48900.00
2022-23	48900.00	33600.00	82500.00	13000.00	69500.00

अतः दुकानों के किरायेदारों के साथ किराये से सम्बन्धित लिखित अनुबंध का कार्यान्वयन न करने व दुकानों के किराये की वसूली न करने के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाते हुए लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली एवं किरायेदारों के साथ किराये से सम्बन्धित लिखित अनुबंध का कार्यान्वयन कर नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित

नियमित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व किराये से सम्बन्धित मांग व वसूली पंजिका का संधारण प्रारूप – 10 के अनुसार किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.008 लाख की वसूली न करना: -

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹800.00** की वसूली नहीं की गई थी, जिसका विस्तृत विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:-

क्र० सं०	आवेदनकर्ता का नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूल योग्य राशि (₹)	वसूली हेतु शेष (₹)
1.	श्री वनीत राज	07.12.2021	21.01.2023	400.00	200.00
2.	श्री गगनेश चौधरी	06.06.2021	22.06.2021	200.00	200.00
3.	श्री गिरीश शर्मा	20.06.2021	07.07.2021	200.00	200.00
4.	श्री सूरज कुमार	24.09.2022	....	400.00	200.00
				कुल जोड़	**800.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 05/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(घ) बगीचे की नीलामी के व्यापक प्रचार एवं नीलामी सम्बन्धी अन्य समर्थित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **79(2)** अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) के समक्ष सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी

अभिलेखों विवरणियों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक वर्ष पंचायत के बगीचे की नीलामी की जाती है व इस नीलामी से प्राप्त राशि का इन्द्राज सभा निधि में किया जाता है। चयनित माह जून **2021** व चयनित माह मार्च **2023** की रसीदों के अंकेक्षण में पाया गया कि वर्ष 2021-22 में बगीचे की नीलामी से राशि **₹70,100.00** की आय प्राप्त हुई थी व वर्ष 2022-23 में बगीचे की नीलामी से राशि **₹46,300.00** की आय प्राप्त हुई। दोनों वर्षों में हुई नीलामी से प्राप्त आय में राशि **₹23,800.00** का अंतर है। बगीचे की नीलामी से सम्बन्धित व्यापक प्रचार-प्रसार एवं नीलामी सम्बन्धी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गये परिणामस्वरूप वर्ष 2022-23 में नीलामी से प्राप्त राशि में हुई इस भारी गिरावट के कारणों की पुष्टि नहीं की जा सकी व प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा नीलामी की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही जिस कारण बोलीदाता को अनुचित लाभ पहुँचाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बगीचे की नीलामी से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 05/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि बगीचे की नीलामी से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिये जाएंगे व भविष्य में बगीचे की नीलामी से पूर्व व्यापक प्रचार किया जाएगा।

अतः बगीचे में कुल पेड़ों के प्रकार व उनकी संख्या की सूची आदि स्वतः स्पष्ट विस्तृत विवरण सहित बगीचे की नीलामी से सम्बन्धित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के कारणों व नीलामी से प्राप्त राशि में हुई भारी गिरावट सम्बन्धी तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण सहित नीलामी से सम्बन्धित पूर्ण अभिलेखों को अंकेक्षण को प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत किया जाये। इसके अलावा भविष्य में बगीचे की नीलामी से सम्बन्धित अपेक्षित कार्यवाही को नियमानुसार अमल में लाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 राशि ₹6.98 लाख के बिल/ वाउचरों हेतु नियमानुसार भुगतान आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **49(1)** में पंचायत द्वारा अदायगी आदेश (पे ऑर्डर) जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा बिलों का भुगतान केवल प्रधान के हस्ताक्षर उपरांत किया गया था, जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :-

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	चयनित माह	चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि (₹)
1.	2021-22	07/2021	**6,98,153.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 09/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की अनभिज्ञता के कारण यह गलती हुई है इस विषय में उचित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत कर दिया जाएगा।

अतः पंचायत द्वारा अदायगी आदेश (पे ऑर्डर) जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताओं का पूर्ण रूप से पालन न करने के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व परामर्श दिया जाता है समस्त भुगतान बिलों पर संयुक्त रूप से प्रधान व सचिव के हस्ताक्षरों के उपरान्त ही बिलों की अदायगी को सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.2 राशि ₹0.58 लाख के मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) को सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणियों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार इस भुगतान से सम्बन्धित मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए :-

क्रम संख्या/ अनुदान/ शीर्ष	वाउचर संख्या/ दिनांक	विवरण	आपूर्तिकर्ता	राशि (₹)
1. 14th FC	03/08.05.22 08/08.05.22 09/08.05.22 10/08.05.22	Supply, installation and commissioning of SPV Street Light at 04 different location	H.P. Govt. Energy Development Agency (हिमऊर्जा) (₹14,384 x 4 no.)	**57,536.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 09/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि हिमऊर्जा द्वारा मूल बिल प्रदान नहीं किया गया है जिस कारण मांगे गए मूल बिल को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त मामले में सम्बन्धित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर /मूल बिल प्राप्त कर वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.3 आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के समर्थन में ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप में राशि ₹0.43 लाख के राजस्व की संभावित वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत चयनित माह (07/2021) व (05/2022) रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गयी थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए।

परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को **परिशिष्ट " च "** पर संलग्न विवरणानुसार **₹42,591.00** का संभावित अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्युत्तर क्रमांक 09/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि शीघ्र ही आपूर्तिकर्ता से वसूली कर ली जाएगी।

अतः **₹42,591.00** का अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस संबंध में सम्बन्धित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाया जाए व इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिये जांचा गया है। शेष अंकेक्षण अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9. औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹2.29 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4),67(5),69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकताओं जैसे: निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत चयनित माह (07/2021) व (05/2022) के व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि **₹2,29,236.00** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट " छ"** में दिया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्युत्तर क्रमांक 09/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा बताया गया कि मांगी गई codal

formalities ऑफिस रिकार्ड में कहीं आगे पीछे हो गई हैं व इनको आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये अथवा इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय,भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10. विविध अनियमितताएं :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है। परन्तु जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्याकनों की मापन पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गई थी परन्तु मापन पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था तथा नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	**रजिस्टर/अभिलेख**	**संदर्भित नियम**	**फॉर्म संख्या**
1.	निवेश रजिस्टर	12	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15 (1)	----
3.	वर्गीकृत सार	29 (4)	8
4.	अस्थाई अग्रीमों का रजिस्टर	30	09
5.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	33 व 77(4)	10

7.	बजट प्राक्कलन	37	11
8.	अनुदान रजिस्टर	61 (1)	21
9.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	95(1)	31
10.	निर्माण कार्य रजिस्टर	103	------ -

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्युत्तर क्रमांक 09/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक 09/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा।

उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13. **लघु-आपत्ति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. **निष्कर्ष** :- हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही, जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009

11 JUL 2024 का0/प्रति
3335-3339

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)401 / 2024—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत ढ़गवार, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

11 JUL 2024

का0/प्रति

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009

परिशिष्ट - क
पैरा संख्या 4(क) के संदर्भ में

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP DHAGWAR FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

1. OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	1481144.00	181053.00	1662197.00	135937.00	1526260.00
2022-23	1526260.00	171525.00	1697785.00	95644.00	1602141.00

2. GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	1963752.12	2469502.00	4433254.12	1296356.40	3136897.72
2022-23	3136897.72	4150408.75	7287306.47	3094252.75	4193053.72

परिशिष्ट - "ख"
पैरा संख्या 4(क) के संदर्भ में

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP DHAGWAR FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	3RD STATE/ 5TH STATE	2021-22	504917.00	306346.00	811263.00	299342.00	511921.00
		2022-23	511921.00	363462.00	875383.00	316300.00	559083.00
2	DPO	2021-22	121550.00	3382.00	124932.00	16000.00	108932.00
		2022-23	108932.00	3106.00	112038.00	26944.00	85094.00
3	RAY/AAY	2021-22	336.00	12.00	348.00	0.00	348.00
		2022-23	348.00	9.00	357.00	0.00	357.00
4	VKVNY	2021-22	93530.00	2838.00	96368.00	0.00	96368.00
		2022-23	96368.00	33082.00	129450.00	7840.00	121610.00
5	SDP/SDRF	2021-22	158235.70	5073.00	163308.70	35294.00	128014.70
		2022-23	128014.70	212126.00	340140.70	265557.00	74583.70
6	MMGPY	2021-22	1778.00	54.00	1832.00	0.00	1832.00
		2022-23	1832.00	52.00	1884.00	0.00	1884.00
7	SBM	2021-22	216520.00	6573.00	223093.00	0.00	223093.00
		2022-23	223093.00	107379.00	330472.00	37200.00	293272.00
8	MPLAD	2021-22	1212.00	36.00	1248.00	0.00	1248.00
		2022-23	1248.00	36.00	1284.00	0.00	1284.00
9	14TH FC	2021-22	330784.42	12235.00	343019.42	69867.70	273151.72
		2022-23	273151.72	8284.00	281435.72	0.00	281435.72
10	15TH FC	2021-22	534889.00	1257118.00	1792007.00	17.70	1791989.30
		2022-23	1791989.30	1437782.00	3229771.30	455321.00	2774450.30
11	MNREGA	2021-22	0.00	875835.00	875835.00	875835.00	0.00
		2022-23	0.00	1985090.75	1985090.75	1985090.75	0.00

परिशिष्ट - "ग"
पैरा संख्या 4(ख) के संदर्भ में

(कार्यालय ग्राम पंचायत ढगवार विकास खण्ड धर्मशाला)
जिला काँगड़ा (हि०प्र०) 176001

बैंक प्रमाण -पत्र

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक गत शेष 01.04.2021	बैंक अंत शेष 31.03.2023
	SF	KCCB मसरेड़	50052299041	14,80,151.00	16,02,021.00
	3RD STATE/ 5th state/	KCCB मसरेड़	50057198220	5,04,917.00	2,79,978.00
		KCCB मसरेड़	50074536544	0.00	2,79,165.00
	DPO	KCCB मसरेड़	50056988231	1,21,550.00	85,094.00
	RAY/AAY	KCCB मसरेड़	50056851502	336.00	357.00
	VKVNY	KCCB मसरेड़	50057188711	93,530.00	1,21,610.00
	SDRF/SDP	KCCB मसरेड़	50058707168	1,58,235.00	74,583.70
	MMGPY	KCCB मसरेड़	50065507070	1,778.00	1,884.00
	SBM	KCCB मसरेड़	50057298430	2,16,520.00	2,93,272.00
	MPLAD	KCCB मसरेड़	50066693950	1,212.00	1,284.00
	14 वां वित्तायोग	HDFC धर्मशाला	50100317317251	3,27,674.00	2,80,218.30
		KCCB मसरेड़	50058357780	3,110.42	3,298.42
	15 वां वित्तायोग	HDFC धर्मशाला	50100374041357	5,34,889.00	27,76,050.00
			हस्तगत शेष	993.00	100.00
			कुल जोड़	34,44,895.42	57,98,915.42

सन्तोष कुमार

(परिशिष्ट "ध" पैरा संख्याः "7(क)" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत ढग्वार विकास खण्ड धर्मशाला ज़िला काँगड़ा हि०प्र०, पिन 176052

दिनांक 31.03.2023 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/ गृहकर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2021-22 में 694 तथा 2022-23 में 725 परिवारों का ₹ 25/- व 30/- रूपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीयवर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिकदर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेषराशि
2021-22	76300	694	25	17350	93650	1200	92450
2022-23	92450	725	30	21750	114200	------	114200
	नोटः-दिनांक 31.03.2023 को बकाया गृहकर की राशि ₹/- 114200 है।						

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत ढग्वार
विकास खण्ड धर्मशाला

(परिशिष्ट "ङ" पैरा संख्या "7(ख)के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत ढगवार विकास खण्ड धर्मशाला , ज़िला काँगड़ा हि०प्र०,पिन - 176052

दिनांक 31-03-2023 को ग्राम पंचायत में कुल 08 दुकानों का किराया वसूली हेतु शेष:-

वित्तीयवर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेषराशि
2021-22	31200	33600	64800	15900	48900
2022-23	48900	33600	82500	13000	69500

सन्तोष कुमार

परिशिष्ट - घ

आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-एम) या संपलीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप में राशि ₹0.43 लाख के राजस्व की संभावित हानि का विस्तृत विवरण

MGNREGA

Gram Panchayat Dhagwar MGNREGA Materials details for the month of July 2021 and May 2022

Sr.No	Name of Work	Name of Firm/Contractor by whom materials supplied	Material BillNo.& Dated	Bill Date	Payment Date	Name Of Item	Qty	Unit	conversion factor	Qty in (M^3)	Determining Factor	Qty MT	Royality(Per MT)	Due Royality
1	नि० मोक्षधाम शैड वार्ड न० 3 प्रांगण व स्टोर (1304004166/AV/8000037913)	Dinesh Kumar	143	9/6/2020	6/7/2021	Stone	2000	nos	140	14.29	2.24	32.00	80	2560.00
2	नि० मोक्षधाम शैड वार्ड न० 3 प्रांगण व स्टोर (1304004166/AV/800003	Dinesh Kumar	325	16/07/2020	6/7/2021	Sand	200	cft	35.31	5.66	1.62	9.18	80	734.40
						Aggreegate	200	cft	35.31	5.66	1.52	8.61	80	688.80
3	पंचटी योजना के अंतर्गत पंचायत बगीचा में बाउंड्रीवाल लगाने वारे वार्ड 3 (1304004166/AV/8000040210)	Dinesh Kumar	144	14/08/2020	6/7/2021	Stone	3000	Nos	140	21.43	2.24	48.00	80	3840.00
4	निर्माण कुहल सुमेर की जमीन के पास वार्ड न.	Dinesh Kumar	320	1/6/2020	6/7/2021	Stone	450	cft	35.31	12.74	2.24	28.55	80	2284.00
						Aggreegate	800	cft	35.31	22.66	1.52	34.47	80	2757.60
5	निर्माण चला दौलत राम की जमीन से सड़क की ओर वार्ड	Dinesh Kumar	305	22/06/2020	6/7/2021	Sand	300	cft	35.31	8.50	1.62	13.76	80	1100.80
						Aggreegate	300	cft	35.31	8.50	1.52	12.91	80	1032.80
6	निर्माण चला दौलत राम की जमीन से सड़क की ओर वार्ड	Dinesh Kumar	314	10/6/2020	6/7/2021	Sand	100	cft	35.31	2.83	1.62	4.59	80	367.20
						Aggreegate	500	cft	35.31	14.16	1.52	21.52	80	1721.60
7	निर्माण कुहल देशराज की जमीन से फौजा राम की जमीन की ओर वार्ड	Dinesh Kumar	304	20/06/2020	6/7/2021	Sand	200	cft	35.31	5.66	1.62	9.18	80	734.40
						Aggreegate	200	cft	35.31	5.66	1.52	8.61	80	688.80
8	निर्माण कुहल पंचायत बगीचा में व सड़क	Dinesh Kumar	315	1/6/2020	6/7/2021	Sand	400	cft	35.31	11.33	1.62	18.35	80	1468.00
						Aggreegate	600	cft	35.31	16.99	1.52	25.83	80	2066.40
9	नि० चला व रास्ता राकेश की जमीन से लेकर तिलकराज के घर की ओर वार्ड न.	Dinesh Kumar	307	17/07/2020	6/7/2021	Sand	300	cft	35.31	8.50	1.62	13.76	80	1100.80
						Aggreegate	300	cft	35.31	8.50	1.52	12.91	80	1032.80
10	नि० चला व रास्ता राकेश की जमीन से लेकर तिलकराज के घर की ओर वार्ड न.	Dinesh Kumar	312	1/7/2020	6/7/2021	Sand	100	cft	35.31	2.83	1.62	4.59	80	367.20
						Aggreegate	100	cft	35.31	2.83	1.52	4.30	80	344.00
11	निर्माण बकरी पालन शैड ओंकार चंद सपुत्र श्री लज्जू	M/S Kapil Sharma	330	10/8/2020	6/7/2021	Sand	425	cft	35.31	12.04	1.62	19.50	80	1560.00
						Aggreegate	825	cft	35.31	23.36	1.52	35.51	80	2840.80
12	नि० रास्ता कुहल पिंकू की दुकान से अमर सिंह की दुकान की ओर वार्ड न.	Dinesh Kumar	306	2/6/2020	6/7/2021	Sand	300	cft	35.31	8.50	1.62	13.76	80	1100.80
						Aggreegate	300	cft	35.31	8.50	1.52	12.91	80	1032.80
13	नि० रास्ता कुहल पिंकू की दुकान से अमर सिंह की दुकान की ओर वार्ड न.	Dinesh Kumar	310	15/06/2020	6/7/2021	Sand	100	cft	35.31	2.832	1.62	4.59	80	367.20
						Aggreegate	100	cft	35.31	2.832	1.52	4.31	80	344.80
14	निर्माण रास्ता रसीला राम के घर से रणजीत के घर की ओर वार्ड	Dinesh Kumar	116	9/4/2021	19/05/2022	Sand	340	cft	35.31	9.629	1.62	15.60	80	1248.00
						Aggreegate	200	cft	35.31	5.664	1.52	8.61	80	688.80
												TOTAL		34072.80
												Panelty 25%		8518.20
												TOTAL		42591.00

Note : No materials had procured aginast other head during Month of July 2021 & May 2022.

ओंकार दत्त

Panchayat [illegible]
Gram Panchayat [illegible]
Development Block Dharamshala (HP)

[illegible] कुमार

नीलम कुमारी

पैरा संख्या '9' के संदर्भ में

औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹ 2.29 लाख के स्टॉक/स्टोर के क्रय का विस्तृत विवरण

अनुदान	काम का ब्योरा	वो. स./ दिनांक	समाग्री का विवरण	बिल. स. / दिनांक	मात्रा	रेट	आपूर्तिकर्ता	राशि ₹	टिप्पणी	प्रस्तव संख्या / दिनांक
1. मनरेगा	बावड़ी का सोंद्रयकरण वार्ड 2	NA	Iron चादर 10 फिट	265 / 18/07/2022	8	₹ 1980/-	मै० रियंशी इंटरप्राइसेस, गाँव & डाकघर दोधाम्ब, तहसील शाहपुर	102116/-	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई	NA
			Iron चादर 8 फिट		20	₹ 1750/-				
			वैल्डिंगरोड 2 पैकट		2	₹ 190				
			रोज 8 पीस		8	₹ 1450/-				
			पाईप 3 x 3		286	₹ 69				
			पाईप 2 x 2		160	₹ 68/-				
			पाईप 1 ½ x 1 ½		81	₹ 72/-				
			मकरू 150 पीस		150	₹ 5/-				
			जी आई सीट 8 फिट		25	₹84/-				
2.	निर्माण रास्ता रसील राम के घर से रणजीत के घर की ओर वार्ड 3	19-05-2022	रेत बजरी	116 dt. 09/04/2021	340 Sq. Ft. 200 Sq. Ft.	₹ 42/- ₹ 36/-	मै० दिनेश कुमार गवर्मेंट कांट्रेक्टर, पठानकोट रोड,इच्छी (गगल), काँगड़ा	21480/-	ऐकल निवीदायें प्रस्तुत की गई व बिना प्रशताव पास किये पुरानी दरों पर काम	02 / 26/05/202
3			इंटरलॉक टाइल 60 मी० मी०	095 दिनांक 05/04/2021	1750 न०	₹ 20/-	मै० दिनेश कुमार गवर्मेंट कांट्रेक्टर	45000/-	बिना प्रस्ताव पास किये पुरानी दरों पर काम करवाया गया	NA
4			इंटरलॉक टाइल 60 मी० मी०	094 दिनांक 15/04/2021	1750 न०	₹ 20/-	मै० दिनेश कुमार गवर्मेंट कांट्रेक्टर	35000/-	बिना प्रस्ताव पास किये पुरानी दरों पर काम करवाया गया	NA
5			सीमेंट की दुलाई	173 दिनांक 06/04/2021	प्रति बैग	₹ 35/-	मै० दिनेश कुमार गवर्मेंट कांट्रेक्टर	1540/-	ऐकल निवीदायें प्रस्तुत की गई व बिना प्रशताव पास किये पुरानी दरों पर काम करवाया गया	NA
5	पौधारोपन कार्य स्वरूप कुमार पुत्र श्री चमारूराम की जमीन में	31/05/2021	Iron Poll size 6 Ft angle 35x35x5	468 दिनांक 08/04/2021	290 Kg	₹ 80/-	मै० हिमाचल ट्रेड्स, गाँव व डाक घर दोधाम्ब	24100/-	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई	NA
			Carrige		1	₹ 900/-				

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कनवाड़
विकास खण्ड धर्मशाला

(25)

(27)